न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 37/2014 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. राकेश
2. रामदत्त

पिसरान नैमीचंद

3. राजेन्द्र पुत्र गोपालसिंह
4. जयन्ती प्रसाद पुत्र गोपालसिंह
5. कैलाप्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद
6. नरोत्तम लाल
7. रामप्रसाद
8. द्वारका प्रसाद

पुत्र बाबूलाल

9. हरप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल
10. रामभरोसी
11. शिवराम
12. रमेशचंद
13. राजबहादुर

पुत्र जगन्नाथ

जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पीपला तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

.....अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।
2. लक्ष्मीदेवी पत्नी बृजेन्द्रसिंह
3. बृजेन्द्रसिंह पुत्र करनसिंह

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 31.1.2014 प्रकरण संख्या 55/2011 प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थितिः–

1. श्री सोनीराम वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 30.01.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 31.1.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि गत आराजी खसरा नम्बर 3134/1824 रकबा 3 बीघा 15 विस्बा सिवायचक गै0मु0 रास्ता ग्राम पीपला था। जिसमें से 0.09 विस्बा भूमि करनसिंह छिद्दी, भजना, सूरजी को तथा 10 विस्बा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों राधाबल्लभ, बाबूलाल, कन्हैयालाल, जगन्नाथ को गैतवाडे के लिये नियमन की जाकर गत खसरा नम्बर 3134/1824/0.10 विस्बा पर प्रार्थीगण की गैर खातेदारी अंकित की गई। प्रार्थीगण के पूर्वजों की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण वहैसियत वारिस वादग्रस्त आराजी पर व हैसियत गैर–खातेदार काबिज है। गत खसरा नम्बर 3134/1824 रकबा 3 बीघा 15 विस्बा में से 19 विस्बा के अलॉटमेन्ट के बाद 2 बीघा 16 विस्बा आराजी शेष रही। इस गत खसरा नम्बर 3134/1824 /2 बीघा 16 विस्बा से हाल सैटिलमेन्ट के नवीन खसरा नम्बर 1767/3243/0.50 है0 निर्मित किया गया है। जो गत के मुकाबले 0.08 है0 अधिक है। प्रार्थीगण के गत खसरा नम्बर 3134/1824/0.10 विस्बा का कोई नया नम्बर निर्मित न कर नवीन खसरा नम्बर 1767/3243/0.50 है0 में ही प्रार्थीगण के गत नम्बर को शामिल कर दिया गया है। हाल खसरा नम्बर 1767/3243/0.50 है0 की किस्म जमीन गैर मुमकिन बगीची दर्ज थी। जिसकी बाबत तरतीवी अप्रार्थीगण द्वारा तहत अदालत के समक्ष धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थनापत्र पेश कर उसमे प्रार्थीगण के 10 विस्बा अलॉटमेन्ट को अंकित किया। तहसीलदार ने भी अपने जबाब में इसे स्वीकार किया तथा न्यायालय तहत अदालत ने अपने आदेश दिनांक 29.9.2008 द्वारा हाल खसरा नम्बर 1767/3143/0.50 है0 की किस्म जमीन गैरमुमकिन रास्ता कर दी है। इसलिऐ हाल खसरा नम्बर 1767/3243/0.50 है0 में से 0.08 है0 कम कर इस 0.08 है का नया नम्बर कायम कर प्रार्थीगण की गैर खातेदारी में गतानुसार दर्ज रिकार्ड किया जावे तथा शेष 0.42 है0 को गै0मु0 रास्ता यथावत रखा जावे। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.1.2014 के जरिये प्रार्थना पत्र यह कहते हुये खारिज कर दिया कि सैटिलमेन्ट समाप्ति के पश्चात उपजिला कलक्टर को 136 एल आर एक्ट के तहत रकबा कमी–वेशी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्टस ने तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय के साथ प्रस्तुत किया था कि गत खसरा नम्बर 3134/1824 रकबा 3 बीघा 15 विस्बा ग्राम पीपला गैर मुमकिन रास्ते का नम्बर थ जिसमें से 9 विस्बा भूमि करनसिंह, वगैरह को व 10 विस्बा भूमि प्रार्थीगण अपीलान्टस के पूर्वज राधबल्लभ, बाबूलाल, कन्हैयालाल व जगन्नाथ को गैतवाडे के लिये नियमन की जाकर गत खसरा नम्बर 3134/1824 रकबा 10 विस्बा पर गैर खातेदार अंकित किया था। प्रार्थीगण के पूर्वजों की मृत्यु के बाद अपीलान्टस वहैसियत वारिस उक्त 10 विस्बा भूमि पर काबिज चले आ रहे है। उक्त गत खसरा नम्बर 3134/1824 रकबा 3 बीघा 15 विसबा में से 19 विस्बा अलाटमेन्ट कम करके शेष 2 बीघा 16 विस्बा रकबा गैर मुमकिन रास्ते का था जिसका हाल बन्दोवस्त द्वारा हाल नम्बर 1767/3243 रकबा 0.50 है0 बनाया है जो गत के मुकाबले 8 ऐयर वेशी है। अपीलान्टस के 10 विस्बा रकबा से कोई नवीन खसरा नम्बर नहीं बनाया है। अपीलान्टस के रकबा को रास्ते के नम्बर 1767/3243 में ही शामिल कर दिया है। इसलिये रास्ते के खसरा

Web Copy - Not Official

नम्बर 1767/3243/0.50 है0 में से 8 ऐयर कर करके प्रार्थीगण/अपीलान्टस के नाम अलग नम्बर कायम किया जावे। तहत अदालत ने अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर गौर न करते हुये पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। जबकि अपीलान्ट का आज भी कब्जा है तथा गैतवाडा बना हुआ है। रास्ता अलग है। इसके अलावा प्रार्थी के इस रकबा के संदर्भ में किसी भी सिविल न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। तहत अदालत/उपखण्डाधिकारी को लैण्ड रिकार्ड दुरूस्ती के वखूबी अधिकार प्राप्त है बाबजूद इसके तहत अदालत ने बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थी/अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट खारिज किया गया है जो कतई न्याय संगत नहीं है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरेअपील दिनांक 31.1.2014 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.1.2014 ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि इस संबध में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार ने पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 30.8.2011 को अग्रेषित किया गया रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी बाबत गंगाप्रसाद वगै0 बनाम द्वारिका प्रसाद वगै0 की अपील अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 भरतपुर में विचाराधीन है तथा वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 1767/3243/0.50 है0 में से ग्राम जाटौली रथभान व कोलीपुरा बाघई नौगाया भरतपुर को सडक जाना अंकित है। इस आराजी में ही राजीव गांधी केन्द्र स्थित है। गत नक्शा व हाल नक्शा में अन्तर है। आराजी खसरा नम्बर 1767/3243/0.50 है0 ग्राम आबादी के अन्दर का आम रास्ता सडक है। तहसीलदार/पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी प्रार्थीगण का कब्जा तथा काश्त होना अंकित नहीं किया है। सैटिलमेन्ट समाप्ति के 28 बर्ष बाद धारा 136 एलआरएक्ट के तहत रकबे में कथित कमी पूर्ति या नया नम्बर सृजित करने का प्रावधान नहीं है। उनका यह भी कहना है कि सैटिलमेन्ट समाप्ति के पश्चात उपखण्डाधिकारी को 136 एल आर एक्ट के तहत रकबा कमी वेशी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 1990 पृष्ठ संख्या 441 पर प्रतिपादित किया गया है कि " Sub Divisional Officer had no right to correect settelmant record after close of settlement operation" सैटिलमेन्ट समाप्ति के बाद पीडित पक्षकार के पास एक मात्र उपचार सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश करना है। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रकिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.1.2014 यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तत अपील अपीलान्टस द्वारा तहत अदालत के आदेश दिनांक 31.1.2014 अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत उपखण्डाधिकारी

भरतपुर द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति /मातहत अधिकारियों की मौका रिपोर्ट तलब करते हुये बाद परीक्षण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष 136 एल आर एक्ट प्रार्थना पत्र के अंतर्गत जो अनुतोष चाह गया है वह एल आर एक्ट की धारा 136 के तहत मेन्टेबल नहीं है। अपीलान्टस/प्रार्थी द्वारा तहत अदालत के समक्ष यह अनुतोष चाह है कि हाल खसरा नम्बर 1767/3243 रकबा 50 ऐयर में से 8 ऐयर रकबा कम कर उसका नवीन खसरा नम्बर बनाया जाकर प्रार्थीगण की गैर खातेदारी में अंकित किया जावे एवं शेष खसरा नम्बर 42 ऐयर गै0मु0 रास्ता के इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे। तहत पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के संबध में गंगाप्रसाद वगै0 बनाम द्वारिका प्रसाद वगै0 की अपील अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 भरतपुर में विचाराधीन है मौके पर वादग्रस्त आराजी आबादी के अन्दर है तथा आम रास्ता/सडक जा रही है। इस आराजी में ही राजीव गांधी केन्द्र स्थित है। बाद ग्रस्त आराजी गत रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता थी तथा कोई भी काश्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में इन सभी तथ्यों को नजर अंदाज कर एल आर एक्ट की धारा 136 के अंतर्गत अपीलान्टस का यह अनुतोष कि नवीन खसरा नम्बर सृजित कर उसके नाम गैर खातेदारी दर्ज किया जाये संभव नहीं है। वास्तव में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एक समरी कार्यवाही है जिसमें मात्र कोई लिपिकीय त्रुटी जो वास्तव में सही हो विहित रीति से शुद्ध करने का प्रावधान है। राजकीय अधिवक्ता के इस कथन से हम सहमत है कि सैटिलमेन्ट समाप्ति के पश्चात उपखण्डाधिकारी को 136 एल आर एक्ट के तहत रकबा कमी वेशी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 1990 पृष्ठ संख्या 441 पर प्रतिपादित किया गया है कि " Sub Divisional Officer had no right to correect settelmant record after close of settlement operation" सैटिलमेन्ट समाप्ति के बाद पीडित पक्षकार के पास एक मात्र उपचार सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश करना है। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रृटी नहीं पाते है लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट द्वारा चाह गया अनुतोष प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत न होने के कारण खारिज की जाती है तथा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.1.2014 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official